



अधिष्ठाता, छात्र कल्याण जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०)

क० 119
दिनांक : 24/9/16

☎ : 0751 2442820
2442821

प्रति,

प्रभारी प्राचार्य
चिन्हित महाविद्यालय जिला स्तरीय युवा उत्सव

विषय : अन्तर्जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2016-17 का आयोजन
दिनांक 03, 04 एवं 05 अक्टूबर 2016 ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2016-17 के क्रम में अन्तर्जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2016 का आयोजन दिनांक 03, 04 एवं 05 अक्टूबर 2016 को प्रातः 10:30 बजे से गालव सभागार, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में आयोजित है। इसमें विजयी छात्र/छात्रा/दल राज्य स्तरीय युवा उत्सव में विश्वविद्यालय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने जिले के अन्तर्महाविद्यालय जिला स्तरीय युवा उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा/दल की भागीदारी अन्तर्जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2016 में सुनिश्चित कर सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद

भवदीय

संलग्न : नियमावली एवं विधा समय-सारणी

KS
(डॉ० केशव सिंह गुर्जर)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
2. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
3. कुलसचिव के निजीसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. अतिरिक्त संचालक, ग्वालियर-चम्बल सम्भाग, मोतीमहल, ग्वालियर

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
अन्तर्जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2016-17

दिनांक : 03-05 अक्टूबर 2016

स्थान : गालव सभागार

| क्र० | विधा का नाम | छात्र/छात्राओं की अधिकतम संख्या | संगतकारों की संख्या | प्रस्तुति की अवधि |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| दिनांक 03/10/16 (सोमवार) | | | | |
| प्रातः 10:30 बजे से | | | | |
| 01. | एकल नृत्य शास्त्रीय | 01 | 03 | 15 मिनट |
| 02. | समूह नृत्य (लोक) | 06 | 03 | 10 मिनट |
| 03. | शास्त्रीय एकल वादन (परकुशन) | 01 | 02 | 10 मिनट |
| 04. | शास्त्रीय एकल वादन (नॉन-परकुशन) | 01 | 02 | 10 मिनट |
| 05. | एकल गायन पाश्चात्य | 01 | 02 | 05 मिनट |
| 06. | समूह गान पाश्चात्य | 06 | 03 | 10 मिनट |
| 07. | कार्टूनिंग | 01 | | 01:00 घण्टा |
| 08. | ऑन द स्पॉट पेंटिंग | 01 | | 02:30 घण्टा |
| दिनांक 04/10/16 (मंगलवार) | | | | |
| प्रातः 10:30 बजे से | | | | |
| 09. | एकल गायन शास्त्रीय | 01 | 02 | 15 मिनट |
| 10. | एकल गायन सुगम | 01 | 02 | 05 मिनट |
| 11. | समूह गान भारतीय | 06 | 03 | 10 मिनट |
| 12. | वक्तृत्वकला | 01 | | 05 मिनट |
| 13. | वाद-विवाद | 02 | | 05 मिनट |
| 14. | प्रश्नमंच | 03 | | |
| 15. | कॉलाज | 01 | | 02:30 घण्टा |
| 16. | पोस्टर मेकिंग | 01 | | 02:30 घण्टा |
| दिनांक 05/10/16 (बुद्धवार) | | | | |
| प्रातः 10:30 बजे से | | | | |
| 17. | माईम (मूक अभिनय) | 05 | 02 | 05 मिनट |
| 18. | स्किट (हास्य नाटिका) | 05 | 02 | 10 मिनट |
| 19. | एकांकी | 08 | 03 | 30 मिनट |
| 20. | मिमिक्री (उपहास सहित अनुकरण) | 01 | | 05 मिनट |
| 21. | क्ले मॉडलिंग | 01 | | 02:30 घण्टा |
| 22. | रंगोली | 01 | | 02:30 घण्टा |

KS

प्रतियोगिताओं के नियम

एकल नृत्य (शास्त्रीय) प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित एक छात्र / छात्रा भाग ले सकते हैं।
2. संगतकारों की अधिकतम संख्या 3 रहेगी।
3. नृत्य का आधार मान्य नृत्य विधा जैसे - कथक, कथककली, भरतनाट्यम, मणीपुरी, ओडिसी एवं कुचिपुडी आदि में से कोई भी हो सकता है।
4. प्रस्तुति में टेप रिकार्ड का प्रयोग वर्जित है।
5. प्रत्येक प्रतियोगी को प्रस्तुति के लिये अधिकतम समय 15 मिनट होगा। जिसमें मंच सज्जा एवं बैठक व्यवस्था का समय भी सम्मिलित है।
6. निर्णय का आधार स्तर, ताल, अभिनय, विधि, लय, अभिव्यक्ति, वेश-भूषा, पद चालान एवं सामान्य प्रभाव होगा।

समूह नृत्य (लोक) प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित छात्र / छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या 8 होगी व संगतकार 3 हो सकते हैं।
3. नृत्य के लिये अधिकतम समय 10 मिनट निर्धारित हैं।
4. नृत्य का आधार लोक अथवा पारम्परिक हो सकता है।
5. टेप अथवा रिकार्ड का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
6. निर्णय का आधार नृत्य पद्धति लोक पद्धति का निर्वाह, लय-ताल का सामंजस्य, नृत्य वेश-भूषा, मेकअप, उचित वाद्ययंत्रों का उपयोग एवं समग्र प्रभाव होगा।

शास्त्रीय एकल वादन (ताल वाद्य)

1. प्रत्येक जिले से एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. संगतकारों की अधिकतम संख्या दो होगी।
3. प्रतियोगी केवल एक ही वाद्य यंत्र पर अपनी प्रस्तुति देगा तथा अपने वाद्य यंत्र स्वयं लेकर आयेंगे।
4. प्रस्तुति के लिये अधिकतम 10 मिनट का समय निर्धारित है।
6. निर्णय का आधार प्रस्तुति, ताल का चयन एवं समग्र प्रभाव होगा।

शास्त्रीय एकल वादन (स्वर वाद्य)

1. प्रत्येक जिले से एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. संगतकारों की अधिकतम संख्या दो होगी।
3. प्रतियोगी केवल एक ही वाद्य यंत्र पर अपनी प्रस्तुति देगा तथा अपने वाद्य यंत्र स्वयं लेकर आयेंगे।
4. प्रस्तुति के लिये अधिकतम 10 मिनट का समय निर्धारित है।
5. पाश्चात्य वाद्य यंत्र पर भी हिन्दुस्तानी राग की प्रस्तुति दे सकते हैं।
6. निर्णय का आधार प्रस्तुति, स्वर-ताल का सामंजस्य, राग का चयन एवं समग्र प्रभाव होगा।

एकल गायन (पाश्चात्य) :

1. प्रत्येक जिले से एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. संगतकारों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है।
3. प्रस्तुति अंग्रेजी भाषा में ही हो सकती है।
4. प्रस्तुति का अधिकतम समय 03 से 05 मिनट है।
5. प्रस्तुति में फिल्मी व रिकॉर्डेड गाने वर्जित हैं।
6. निर्णय का आधार राग का चयन, प्रस्तुति, स्वर, ताल का सामंजस्य एवं समग्र प्रभाव होगा।

समूह गान (पाश्चात्य) :

1. प्रत्येक जिले से चयनित छात्र / छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रत्येक दल में प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या 6 एवं संगतकारों की संख्या 3 हो सकती है।
3. समूह गान केवल अंग्रेजी भाषा में ही हो सकता है।
4. समूह गान के लिये अधिकतम समय 10 मिनट निर्धारित हैं।
5. मंच व्यवस्था के लिये अधिकतम 04 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जायेगा।
6. निर्णय का आधार गायकी, प्रस्तुति, स्वर ताल का सामंजस्य एवं समग्र प्रभाव होगा।

